सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 20.07.2024

मात्र 12 घण्टे के अन्दर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 मुख्य अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाइसेन्सी रायफल एवं 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना चौबिया पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी सत्यपाल पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रम्पुरा थाना चौबिया जनपद इटावा द्वारा थाना चौबिया पर सूचना दी गयी कि उदयवीर आदि 04 नामजद व्यक्तियों द्वारा वादी की जमीन पर कब्जा करने को लेकर विवाद हो गया जिस पर उदयवीर ने अपनी लाइसेन्सी बन्दूक से फायर करके वादी के भाई राजवीर सिंह को गोली मार दी जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। **सूचना पर तत्काल थाना चौबिया पर मु0अ0सं0 90/2024 धारा 103(1)/109/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।**

घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 19/20.07.2024 की रात्रि को थाना चौबिया पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु भ्रमणशील थी इसी दौरान 01 व्यक्ति राहिन तिराहे की ओर से आता दिखायी दिया जिसे संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया तो वह भागने लगा जिसे आवश्यक बल प्रयोग करते हुये **राहिन के पास से समय 01.35 बजे गिरफ्तार** किया गया।

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये व्यक्ति की पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 लाइसेन्सी रायफल, 02 जिन्दा कारतूस एवं 01 खोखा कारतूस 12 बोर बरामद हुये तथा पूछताछ करने पर बताया कि मेरे परिवार के राजवीर से मेरा विवाद हो गया था जिस पर मैंने इसी रायफल से उसकी गोली मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चौबिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 90/2024 धारा 103(1)/109/3(5) बीएनएस में धारा 30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. उदयवीर सिंह पुत्र श्रीकृष्ण निवासी ग्राम रम्पुरा थाना चौबिया जनपद इटावा **उम्र 50 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 90/2024 धारा 103(1)/109/3(5) बीएनएस व धारा 30 आर्म्स एक्ट थाना चौबिया जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 लाइसेन्सी बन्दूक 12 बोर
2. 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर
3. 01 खोखा कारतूस 12 बोर।

पुलिस टीमः- उ0नि0 श्री बेचन कुमार सिंह थानाध्यक्ष चौबिया, उ0नि0 दर्शन सिंह, का0 नौरत्न, का0 रवि कुमार, का0 चालक देवेश कुमार।